भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 114

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 नवंबर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

वित्तीय राहत

114. सुश्री देबाश्री चौधरीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा 20.97 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की गई है और क्या इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस वित्तीय राहत के कारण रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वित्तीय राहत से देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस वित्तीय राहत से गरीब लोगों तक कितना लाभ पहुंचा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): वर्ष 2020 के दौरान सरकार ने कोविड-19 से लड़ने और देश को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से निम्नांकित पैकेजों की घोषणा की जिसमें आरबीआई द्वारा कुल 29,87,641 करोड़ रु. की कुल राशि की घोषणा की गईः (i) 26.03.2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज नामक एक राहत पैकेज (ii) आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी) 1.0,2.0, और 3.0 जो कि क्रमशः 13 से 17 मई, 2020, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवंबर, 2020 को घोषित हुए। इसके अतिरिक्त 28.06.2021 को 6.28 लाख करोड़ रु. का एक कोविड स्टीमुलस पैकेज भी घोषित किया गया। शामिल क्षेत्रों को कवर करते हुए इन पैकेजों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत के अधीन घोषित आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देता है जिसमें भारत सरकार दो वर्षों हेतु ईपीएफ को पंजीकृत स्थापनाओं में पात्र कर्मचारियों के संदर्भ में रोजगार प्राप्तकर्ता और रोजगार देने वाले दोनों के अंशदान (वेतन का 12 प्रतिशत) के संबंध में योगदान करता है। यह लाभ उन नए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो 1 अक्तूबर, 2020 को या इसके बाद रोजगार प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने कोविड-19 के दौरान नौकरियां खोई है और 30.09.2020 तक ईपीएफ के अधीन शामिल किसी भी स्थापना में तैनाती नहीं ली हैं, और यह लाभ उन्हें 31 मार्च, 2022 तक प्राप्त होगा। दिनांक 18.11.2021 की स्थिति के अनुसार 1,15,550 स्थापनाओं के माध्यम से 39.35 लाख कर्मचारियों को 2561.10 करोड़ रु. का कुल लाभ दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों/छोटे व्यवसायों को उनकी प्रचालनात्मक देयताएं पूरी करने देने और कारोबार फिर से शुरू करने में सहायता देने के लिए एएनबी (समय-समय पर संशोधित) के तहत अब तक गारंटियों पर संपूर्ण रूप से 4.5 लाख करोड़ रु. की सीमा तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) से कारोबार को पुनः प्रचालन में लाने और पुनः नौकरियां प्राप्त करने में सहायता मिली है। इससे दिनांक 19.11.2021 की स्थिति के अनुसार अबतक लगभग 5.45 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीन (पीएलआई) में राष्ट्रीय विनिर्माण अग्रदूतों का सृजन करने और रोजगार के अवसर पैदा

करने की परिकल्पना की जाती है। आत्मनिर्भर भारत में विभिन्न दीर्घावधिक स्कीमें /कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य कोविड-19 से लड़ना है और देश को स्वावलंबी बनाना है, जिसके परिणाम समय के साथ दिखाई देगें।

आर्थिक गतिविधियों में हुई वृद्धि बहुत-से उच्च तीव्रता संकेतों और मानदंडों में स्पष्ट दिखता है जैसे किः (क) अगस्त 2021 में औद्योगिक उत्पादन अगस्त 2019 के अपनी महामारी पूर्व स्थिति से 103 प्रतिशत की दर पर पहुंच कर अपने अधिकांश उपयोग आधारित वर्गों में विनिर्माण के क्षेत्र में पूर्ण बहाली दर्शाता गया। (ख) 8 मुख्य उद्योगों से प्राप्त आउटपुट ने सितम्बर 2019 के कोविड पूर्व स्तर को पार कर लिया जिसमें कि कोयला, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट और विद्युत अग्रणीय रहे। (ग) पीएमआई सेवाएं रेल भाडा गतिविधि में बढ़त, ई-वे बिलों में बढ़त और राजमार्ग टोल एकत्रणों में वृद्धि एवं अन्य के अतिरिक्त हवाई मार्ग भाडे और पेसेंजर ट्रैफिक में बढ़त के बीच अक्तूबर 2021 में 58.4 के दशकीय ऊचाई पर पहुंची (घ) जीएसटी एकत्रणों में वृद्धि। (ङ) अक्तूबर 2021 में व्यापार उत्पादों के निर्यातों में लगातार सातवे महीने में 30 बिलियन अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार हुआ। (च) वित्त वर्ष, 2021-22 में व्यापार उत्पादों का निर्यात अक्तूबर 2021 में महामारी पूर्व के 2019 के स्तरों को पार कर गया। (छ) वित्त वर्ष 2021 में एफडीआई वित्त वर्ष 2022 के प्रथम पांच महीनों में 20 बिलियन अमरीकी डॉलर के चिह्न तक पहुंच गया। स्कीमों के तहत जहां कहीं अनुप्रयोज्य था, निर्धनों को उपलब्ध कराए गए लाभों का विवरण **अनुलग्नक-II** पर है।

अनुबंध-I

29.11.2021 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का विवरण

(i) स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए 30.03.2020 से कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना को बढ़ा दिया गया है और यह अप्रैल, 2022 तक वैध है।

(ii) पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत कवर किया गया सभी लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो की दर से खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। इसके अलावा, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार दालें प्रति परिवार 1 किलो की दर से तीन महीने के लिए मुफ्त प्रदान की गईं। इस योजना को नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। मुफ्त खाद्यान्न की योजना मई 2021 से नवंबर, 2021 के महीनों के लिए फिर से शुरू की गई थी। अब इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

(iii) किसानों को लाभ: 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त का भुगतान अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत किया गया था, जिसमें लगभग 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।

(iv) नकद हस्तांतरण-

क) कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को तीन महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि।

ख) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (तीन)।

ग) 100 से कम श्रमिकों वाले व्यवसायों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम आय वाले वेतनभोगियों को उनके पीएफ खातों में तीन महीने के लिए मासिक वेतन का चौबीस (24) प्रतिशत प्रदान किया गया था। इस योजना को और तीन महीने के लिए, यानी अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

घ) लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांग वर्ग के लोगों को 1000/- रुपये की राशि।

(v) मनरेगा मजदूरी में 1 अप्रैल, 2020 से 20 रुपये की वृद्धि की गई।

(vi) स्वयं सहायता समूह: 63 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

(vii) पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक

क) संगठित क्षेत्र: कर्मचारियों के भविष्य निधि विनियमों में महामारी को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है, ताकि खातों से राशि का 75 प्रतिशत या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, की गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति दी जा सके।

ख) राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष का उपयोग करने के लिए निधि के 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक व्यवधानों से बचाने के लिए सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था।

ग) जिला खनिज कोष: राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के साथ ही इस महामारी से प्रभावित मरीजों का इलाज करने के लिए चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाओं को अनुपूरित करने और उसे तीव्र करने के लिए जिला खनिज कोष (डीएमएफ) के तहत उपलब्ध धन का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

आत्मनिर्भर भारत उद्घोषणाएं

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा
2. संकट ग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये अधीनस्थ ऋण
3. एमएसएमई फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी समावेशन
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी निविदाओं हेतु कोई वैश्विक निविदा नहीं।

6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी स्थापनाओं के लिए अगले 3 माह हेतु नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ अंशदान 12% से घटाकर 10% किया जाना।
8. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना
9. एनबीएफसी/एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. डिसकॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से ठेकेदारों को दिए गए राहत
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालनों के लिए देय तिथियां विस्तारित

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. शिशु मुद्रा ऋण हेतु 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता - 1500 करोड़ रुपये की राहत।
20. नुक्कड़ पर सामान बेचने वालों के लिए 5000 करोड़ रुपये ऋण सुविधा।
21. पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपए।
22. सीएएमपीए निधियों का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन हेतु 6,000 करोड़ रुपये
23. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये रियायती ऋण

ग. 15.05.2020 को की गई घोषणाएँ

25. किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना
26. माइक्रो खाद्य उद्यम (एमएफई) के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये योजना
27. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये
28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना - 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल खेती को बढ़ावा 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल - 500 करोड़ रुपये
32. 'शीर्ष' से कुल - 500 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, शीर्ष से कुल अधिसूचित फलों और सब्जियों के दामों के ट्रिगर मूल्य से नीचे होने पर इनके यातायात और भंडारण से संबंधित कार्यकलापों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराता है।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय हेतु उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार
iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर

36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. भारत विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में रूपान्तरित व्यवहार्यता अंतराल निधियन स्कीम के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमजीएनआरईजीएस के आबंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि
48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. कोविड के पश्चात इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी चालित शिक्षण।
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि।
51. कंपनी अधिनियम की चूक में कमी करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर-मुक्त भुगतान)
56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में 10,000 रु. का ब्याज मुक्त अग्रिम, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किए जाने हेतु।
57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक 12,000 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के लिए एक विशेष ब्याज मुक्त ऋण

- 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 200 करोड़ रुपये
- उत्तराखंड, हिमाचल में से प्रत्येक के लिए ₹450 करोड़
- वित्त आयोग के हस्तांतरित अंश के अनुसार शेष राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये।

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020 -21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) रुपये प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 से उबरने के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या उन्हें जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
60. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।
61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य की पेशकश।
62. पीएम आवास योजना - शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय
63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट
64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत

65. अवसंरचना ऋण वित्तीयन के लिए प्लेटफार्म

66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए 65,000 करोड़ रु.

67. ग्रामीण रोजगार के लिए प्रेरणा पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है। निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए प्रेरणा भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

70. कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

दिनांक 28.06.2021 को की गई घोषणाएं

1. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के लोन गारंटी योजना।
2. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये।
3. सुक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआईएस) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।
4. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटकों/गाइडों/यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता।
5. पहले 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा।
6. 31 मार्च, 2022 तक आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार।
7. डीएपी और पी एंड के उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रु. की अतिरिक्त सब्सिडी।
8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार-मई से नवंबर, 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न।
9. बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/बाल चिकित्सा विस्तरों पर जोर देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रु. से अधिक।
10. पोषण, जलवायु लचीलापन और अन्य लक्षणों के लिए जैव-फोर्टिफाइड फसल की 21 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया जाना।
11. 77.45 करोड़ रु. के पैकेज के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरूद्धार
12. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रु. प्रोत्साहन
13. निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रु. का प्रोत्साहन
14. भारत नेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्राडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रु.
15. 2025-26 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल बढ़ाना
16. सुधार आधारित परिणाम-लिंक्ड विद्युत वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रु.
17. पीपीपी परियोजनाओं और आस्ति मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया

*****

अनुबंध II

दिनांक 29.11.2021 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

		पीएमजी एवाई (अप्रैल-नवंबर 2020)		पीएमजीएवाई दलहन/चना (अप्रैल-नवंबर 2020)		पीएमजीएवाई III मई'21 से जून'21		पीएमजीएवाई IV जुलाई'21 से अक्टूबर'21		एएनबी खाद्यान्न (प्रवासी के लिए)		एएनबी चना (प्रवासी के लिए)		उज्ज्वला		पीएम किसान	पीएमजेडीवाई	24% ईपीएफ		एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	बीसीडब्ल्यू (भवन और निर्माण कोष)		डीएमएफ
क्र.सं.	राज्य	खाद्यान्न मात्रा (एमटी)	लाभार्थी	दालें/चना मात्रा (एमटी)	लाभार्थी	वितरित मात्रा (एमटी)	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (औसत)	वितरित मात्रा (एमटी)	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (औसत)	खाद्यान्न मात्रा (एमटी)	लाभार्थी (कुल)	कुल मात्रा (मई-जून) (एमटी)	कुल लाभार्थी (मई -जून)	अग्रिम या प्रतिपूर्ति के बदले दिया गया पूरक विवरण	अंतरित राशि (लाख में)	लाभार्थी की संख्या	धनराशि प्रदान की गई खातों की संख्या	लाभार्थी	राशि (लाख रुपये)	कुल लाभार्थी	लाभार्थियों की संख्या	कुल राशि (रु. लाख)	राशि (करोड़ रुपये)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,383	59,100	122	16,350	571	57,100	1,138	56,887	59.5	11,900	9	8,554	22,354	157	10,677	23,064	3,238.00	155.91	5,928	11,014	492	
2	आंध्र प्रदेश	9,95,500	2,61,12,304	66,492	90,28,190	2,55,687	2,55,68,719	4,85,252	2,42,62,597	7	1,360	0	0	7,62,024	5,163	46,95,820	60,13,565	1,85,152.00	11,651.14	9,32,661	19,67,484	19,675	131.48
3	अरुणाचल प्रदेश	30,642	7,98,490	1,034	1,77,210	8,094	8,09,380	12,571	6,28,545	799	1,59,758	34	33,730	76,658	518	66,323	1,80,119		0.00	34,139	3,000	60	
4	असम	9,77,964	2,48,73,000	45,456	57,86,440	2,47,225	2,47,22,480	3,91,794	1,95,89,690	15,712	31,42,380	638	6,37,953	52,70,571	36,257	18,61,715	95,34,385	9,772.00	252.73	8,40,984	2,70,000	2,700	0.65
5	बिहार	31,47,508	8,11,39,356	1,20,112	1,43,33,767	8,18,441	8,18,44,051	16,19,902	8,09,95,124	86,449	1,72,89,890	3,301	33,01,110	1,53,47,936	1,11,171	58,99,824	2,33,15,732	67,545.00	4,287.92	36,64,811	0	0	0.00
6	चंडीगढ़	10,167	2,59,080	486	63,670	2,460	2,46,000	5,059	2,52,927	145.8	29,160	7	7,056	246	2	429	1,10,537	23,805.00	2,034.29	3,415	6,670	400	
7	छत्तीसगढ	7,89,804	1,94,31,064	39,632	51,49,800	1,98,880	1,98,88,006	3,90,773	1,95,38,627	1,964	3,92,860	174	1,74,448	39,71,169	32,416	21,67,441	78,57,012	84,417.00	6,404.33	8,52,275	0	0	4.36
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,568	2,58,328	519	65,240	2,530	2,52,957	5,048	2,52,396	159	31,800	12	11,980	25,360	169	13,531	52,817 17,387		0.00	9,588 1,376	0	0 0	
9	दिल्ली	2,72,775	6284047	13,690	17,54,513	72,627	72,62,700	1,38,379	69,18,973	4,544	9,08,880	351	3,51,100	1,95,912	1,263	12,075	20,30,271	41,521.00	3,642.58	1,56,436	39,600	3,960	
10	गोवा	20,585	5,14,412	1,066	1,42,550	5,201	5,20,079	9,481	4,74,027	22	4,320	2	1,600	2,108	14	7,854	69,987	16,563.00	1,265.92	2,061	5,117	307	
1 1	गुजरात	12,76,713	31784856	50,026	65,09,333	3,27,197	3,27,19,703	6,60,498	3,30,24,881	287	57,312	20	20,253	49,09,689	32,592	46,85,062	71,08,005	2,70,988.00	18,510.49	6,88,953	4,83,196	4,832	22.00
12	हरियाणा	4,50,912	1,11,90,324	18,812	24,27,333	1,13,473	1,13,47,309	2,25,003	1,12,50,157	7,959	15,91,770	465	4,65,060	15,15,279	9,902	15,14,497	34,16,299	83,035.00	6,403.61	3,27,269	3,50,621	17,531	15.85
13	हिमाचल प्रदेश	1,06,429	27,72,352	4,790	6,73,667	26,810	26,81,044	55,511	27,75,560	2,028	4,05,516	112	1,11,700	2,92,574	1,965	8,70,609	5,84,184	48,762.00	3,629.35	1,11,863	1,21,281	7,461	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	2,82,312	69,15,000	13,208	16,44,090	62,481	62,48,145	1,19,252	59,62,585	1,958	3,91,600	131	1,31,080	20,09,414	14,574	9,20,451	10,49,256	43,121.00	2,055.78	143289 (लद्दाख सहित)	155975 (लद्दाख सहित)	4,679	0.43
15	झारखंड	8,83,433	2,40,94,622	44,593	57,11,600	2,47,055	2,47,05,515	4,84,132	2,42,06,586	717	1,43,436	1,059	10,59,140	53,60,642	37,520	12,31,912	72,27,042	1,05,631.00	7,666.54	12,88,850	0	0	9.66
16	कर्नाटक	15,41,056	3,86,45,940	80,975	1,27,22,730	3,78,032	3,78,03,234	7,48,539	3,74,26,942	11,600	23,20,014	2,055	20,55,380	57,07,480	37,831	48,39,093	79,87,088	3,19,389.00	24,924.83	13,98,410	13,62,438	68,122	118.09
17	केरल	5,87,791	1,49,27,032	27,956	35,91,483	1,45,857	1,45,85,673	2,82,736	1,41,36,813	2,142	4,28,300	307	3,06,897	5,11,114	3,323	27,16,844	24,13,289	1,21,319.00	9,250.22	6,88,329	4,54,124	4,541	0.00

18	लद्दाख	5,645	1,41,480	233	29,008	1,374	1,37,420	1,964	98,195	33	6,548	0	0	19,172	166	0	9,951	247.00	21.08	ऊपर जम्मू-कश्मीर में शामिल	ऊपर जम्मू-कश्मीर में शामिल	0.00	
19	लक्षद्वीप	864	21,800	39	5,200	220	22,013	382	19,119	15	2,900	5	4,530	517	3	0	2,867		0.00	324	520	33	
20	मध्य प्रदेश	18,00,437	4,93,09,348	77,890	96,95,633	4,55,960	4,55,95,989	8,23,491	4,11,74,547	1,754	3,50,797	159	1,59,330	1,13,35,496	77,378	68,12,020	1,66,22,091	1,69,059.00	10,711.54	22,05,963	8,91,850	17,837	5.10
21	महाराष्ट्र	25,27,129	6,82,50,268	1,03,643	1,32,15,103	6,36,508	6,36,50,778	11,91,674	5,95,83,686	17,315	34,63,000	762	7,62,170	76,20,813	50,513	86,32,718	1,29,47,062	4,76,836.00	31,528.87	11,68,385	8,94,408	17,888	59.50
22	मणिपुर	90,747	20,47,906	4,192	5,87,503	17,077	17,07,669	28,540	14,27,011	676	1,35,200	82	82,348	2,76,213	2,120	2,83,457	5,04,169		0.00	61,972	52,605	526	
23	मेघालय	85,803	21,45,145	3,145	4,21,503	20,226	20,22,623	38,176	19,08,784	2,145	4,29,000	84	84,300	1,96,213	1,408	1,15,638	2,68,908	73,342.00	2,224.82	54,127	24,730	1,237	
24	मिजोरम	25,288	6,62,132	1,243	1,55,405	6,122	6,12,198	12,622	6,31,097	250	50,000	30	29,750	55,270	420	69,425	58,176		0.00	27,538	51,451	1,544	
25	नागालैंड	53,964	14,04,600	2,276	2,84,940	13,500	13,50,000	18,980	9,49,023	1,405	2,80,926	56	56,000	89,967	593	1,81,008	1,57,792		0.00	49,210	19,046	381	
26	ओडिशा	12,06,580	2,88,37,690	74,941	95,19,513	3,10,900	3,10,89,967	6,16,916	3,08,45,781	630	1,26,000	15	15,130	83,65,761	57,172	20,03,185	81,21,020	1,62,121.00	10,148.60	20,27,022	20,83,288	31,249	99.49
27	पुदुचेरी	23,211	5,97,945	1,273	1,78,500	6,069	6,06,935	10,445	5,22,274	73	14,680	15	15,000	31,098	203	9,715	83,926	16,456.00	1,011.52	28,757	0	0	
28	पंजाब	5,33,154	1,33,65,720	27,751	35,47,747	1,36,328	1,36,32,800	2,02,196	1,01,09,800	10,902	21,80,400	1,016	10,15,720	24,53,238	16,351	17,52,498	33,22,186	79,150.00	5,054.89	1,40,404	2,89,237	17,354	0.65
29	राजस्थान	17,52,646	4,44,44,332	75,043	99,94,240	4,20,133	4,20,13,322	6,83,918	3,41,95,923	42,478	84,95,600	2,003	20,03,000	1,11,23,374	73,858	51,64,391	1,56,13,962	1,23,266.00	7,946.42	9,87,781	22,30,000	55,750	15.93
30	सिक्किम	14,479	3,65,120	614	93,817	3,710	3,70,980	5,154	2,57,700	315	63,000	15	15,042	21,301	165	0	42,552		0.00	18,332	7,836	157	
31	तमिलनाडु	12,31,653	2,97,45,840	33,324	1,11,07,920	3,14,057	3,14,05,694	5,57,263	2,78,63,175	1,449	2,89,888	34	34,000	61,85,688	41,390	35,59,533	60,75,989	5,81,768.00	34,570.97	18,14,700	13,70,601	27,412	14.73
32	तेलंगाना	7,24,662	1,80,62,980	15,804	52,68,030	1,84,869	1,84,86,855	3,47,905	1,73,95,245	180	35,991	34	34,460	18,74,171	13,036	33,31,468	52,60,800	1,78,225.00	10,233.62	6,65,956	8,30,324	12,455	0.00
33	त्रिपुरा	94,893	23,73,722	4,420	5,40,847	24,242	24,24,161	48,416	24,20,790	22	4,386	22	21,929	4,46,819	3,747	1,90,441	4,31,770		0.00	1,38,473	39,082	1,172	
34	उत्तर प्रदेश	56,16,735	14,19,99,424	2,69,530	3,34,08,790	14,14,907	14,14,90,661	28,17,313	14,08,65,633	11,809	23,61,848	1,060	10,60,497	2,70,74,796	1,81,728	1,76,75,849	3,18,13,530	2,30,453.00	15,741.60	52,57,390	18,25,415	35,395	0.46
35	उत्तराखंड	2,37,842	58,95,600	10,736	13,44,657	59,400	59,39,990	81,376	40,68,783	383	76,554	34	33,800	7,62,313	5,015	6,74,688	12,67,372	41,863.00	3,234.58	2,15,109	2,28,423	4,568	3.49
36	पश्चिम बंगाल	23,39,724	5,83,10,164	91,452	1,40,19,333	5,87,047	5,87,04,738	11,64,461	5,82,23,039	45,894	91,78,800	2,647	26,46,760	1,72,88,933	1,16,938	0	1,89,95,377	4,28,442.00	21,132.39	21,32,959	21,98,349	21,983	0.46
	कुल	**2,97,51,729**	**75,80,40,523**	**13,26,516**	**18,32,15,657**	**75,25,269**	**75,25,26,888**	**1,42,86,258**	**71,43,12,916**	**2,74,279**	**5,48,55,773**	**16,751**	**1,67,50,807**	**14,12,01,683**	**9,67,041**	**8,94,54,616**	**20,65,00,000**	**39,85,486.00**	**2,55,696.54**	**2,81,45,039**	**1,82,67,685**	**3,81,702**	**502.33**